

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

करीये 019

बनाम मोहन लाल

किस्म मुकदमा

नं. 1687/19

सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>25/4/19 काफ अह इका बी लखनपुरा निह मय ने नामक ने वादी की कोर्ट के फेश दिया गया। इका उर वर प्रतिवादी को नलकी जारी हो काइ तामील प्रशाकली डिकेड 16.5.19 को पेश हो</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</p>
	<p>16/5/19 काफ प्रशाकली नेश डू डू वादी लकील इका नामकी नामकी डियाल प्रशाकली इलाफा एलाफा डिकेड 11.7.19 को पेश हो</p>	
	<p>11.7.19 वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य रखित है। पेश किया, नकल दिलाई न। वास्ते दिनांक 30.8.19 को पेश हो। इ-रजाला 16/8</p>	
	<p>30.8.19 वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य रखित है। पेश किया, नकल दिलाई न। वास्ते दिनांक 1.11.19 को पेश हो। नलकी जूट</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

10.10.23 वकील 9.10.23 अनुपस्थित

साथिक आदेश दिनांक.....

की पालना में पत्रावली वास्ते 8 डाक से अंतिम मौक
दिनांक 17.11.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

17.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... चुनाव

..... में
पत्रावली दिनांक 29.12.23 को पेश हो।

29.12.23

पत्रावली हस्तगत हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
वकील व उनके वादी को न्यायालय द्वारा आवाज
दिलायी गई। साथ 5.00 रुपये तक इतजार किया तथा
पुनः आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील
व उनके वादी उपस्थित नहीं आये। अतः हावा
वकील व उनके वादी की महम पेची - महम
हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के
संसार होकर नम्बर से कम हो याद गमिल त्वकील
कार्यवाही परम्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०